

नियम 78 : प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों सहित ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों का सुमेलीकरण

प्ररूप जीएसटीआर-8 में यथा घोषित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदायों से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1¹ [प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित यदि कोई हों] में प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी ब्यौरों के साथ सुमेलित होंगे-

(क) प्रदाय के स्थान का राज्य; और

(ख) शुद्ध कराधेय मूल्य :

जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां ऊपर उल्लेखित ब्यौरों के सुमेलीकरण की तारीख तदनुसार बढ़ाई जाएगी।

परन्तु यह और कि आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, आदेश द्वारा सुमेलीकरण की तारीख को उस तारीख तक बढ़ा सकेगा जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

¹ अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 07.2024)।